जा० क्र 877
26/7/24

कार्यालय पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, नया रायपुर

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक: 13579/1984
संदर्भ क्रमांक: 2058541365

संशोधन क्रमांक: 122198482532001
दिनाँक: 11/07/2024

// आदेश //

संस्था Saryuparin Brahman Sabha पता- इंदिरा नगर (संजय नगर) रिंग रोड न.1 रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)४९२००१ तहसील Raipur जिला Raipur पंजीयन क्रमांक 13579/1984 दिनांक 27/03/1984 द्वारा पंजीकृत संस्था हैं, जिस पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित नियम 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं|

उक्त संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 10/13 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम-9 के निर्धारित प्रारूप में उद्देश्य, पता, नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 08/07/2024 को प्रस्तुत किया गया है, इसके साथ संशोधन हेतु आयोजित कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 05/11/2023 आमसभा की बैठक दिनांक 26/11/2023 तथा विशेष आमसभा की बैठक दिनांक 24/12/2023 की प्रति संलग्न किया गया है| संशोधन हेतु निर्धारित मद में संशोधन शुल्क रूपये 3000.00/- का ऑनलाइन चालान प्रस्तुत किया गया है |

संशोधित नियमावली में तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरित प्रति, तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया है| परीक्षण उपरांत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत किया जाता है|

प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के प्रचलित ज्ञापन एवं नियमावली स्वमेव निरस्त मानी जावेगी| भविष्य में संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित किया जावे|

अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन-
अध्यक्ष / सचिव Saryuparin Brahman Sabha की ओर पालनार्थ प्रेषित

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate and does not require seal and signature. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Reference No.

शुल्क 800 चालान क्र 24601161 दि. 11/7/24 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र 13579 दिनांक 27/3/84 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी की दिनांक 26/7/2024

Digitally signed by Anupma Devi Kujur
Date: 2024.07.11 12:30:57 +05:30
Reason: For Issuing Amendment in Registered Society
Location: State Society

TC
26/7/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

22AA 642843

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा
आदेश के साथ संलग्न

26/7/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

जा क्र 877 ① 26/3/24

प्रारूप – एक

(नियम–3)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु संस्था का ज्ञापन

1. संस्था का नाम : सरयूपारी ब्राम्हण सभा रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।
2. संस्था का मुख्य कार्यालयः– रायपुर जिले की रायपुर तहसील में स्थित होगा तथा उसका पता इंदिरा नगर (संजय नगर) रिंग रोड नं.01, रायपुर तह. व जिला–रायपुर (छ.ग.)
3. संस्था के उद्देश्यः–

१. समाज में एकता निर्माण करना.

२. समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा इत्यादि समाप्त करना.

३. पारस्परिक सहयोग द्वारा समाज का उत्थान करना और राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि करना.

४. सरयूपारीण ब्राह्मण समाज में नैतिक मानसिक शारीरिक सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु कार्य करना एवं समाज में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करना.

५. समाज की अमूल्य सेवाओं के लिए समाज के सदस्यों को सम्मानित करना.

६. समाज के विवाह योग्य लड़के लड़कियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना तथा सामूहिक विवाह और जनेऊ का आयोजन करना.

७. सरयूपारीण ब्राह्मण समाज के निर्धन और विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति या परिवार की सहायता करना.

८. समाज के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा संस्थाएं एवं छात्रावास की व्यवस्था करना तथा समाज के कल्याण के लिए औषधालय पुस्तकालय वाचनालय आदि की स्थापना करना और उन्हें सुचारु रुप से संचालित करना.

९. सामाजिक संस्कार तथा विवाह तथा यगोपवित्र आदि में लगने वाले सामग्री बर्तन का समान तथा बरात निवास गृह आदि की व्यवस्था सरयूपारीण परिवारों के लिए करना और उनकी हर संभव सहायता करना.

१०. सरयूपारीण समाज के होनहार व योग्य छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना

११. समाज के विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना.

१२. समाज लोगों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने तथा उनमें समाजिक चेतना जगाने तथा समाज की सदस्यों के समाधान और सभा की कार्यवाहीयों को बताने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाएं निकालना मुद्रित करना और प्रकाशित करना.

१३. समाज में जागृति लाने नैतिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्मेलन करना

१४. सरयूपारीण ब्राह्मण समाज के सर्वांगीण उन्नति एवं राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कार्य करना

१५. सामाजिक जिम्मेदारी निभाना एवं पर्यावरण हेतु समुचित प्रयास करना.

सचिव, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, रिंग रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर	कोषाध्यक्ष, सरयू पारीण ब्राह्मण समाज, रायपुर. (म. प्र.)	अध्यक्ष, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, रिंग रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर

१६. समाज की विधवा तलाकशुदा महिलाओ के पुर्नविवाह एव समाज मे स्थापित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना.

१७ समाज के युवक युवतियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना.

[illegible] विभिन्न हितकारी योजनाओ से समाज के लोगो को लाभान्वित कराना.

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1 मठपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

4. संस्था के प्रबंध विनियमों द्वारा संस्था के कार्यों का प्रबंध कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिनके नाम पता तथा धंधो को नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है।

क्रमांक	नाम	पता	धंधा
1.	श्री रविशंकर दुबे (अध्यक्ष)	श्री भागीरथी दुबे मंदिर नयापरा गोलबाजार वार्ड रायपुर म.प्र.	कृषि
2.	श्री पन्ना लाल शुक्ल (महा सचिव)	महामाया पारा महामाया मंदिर के पास रायपुर (म.प्र.)	शासकीय नौकरी
3.	डॉ. हनुमान प्रसाद दुबे कोषाध्यक्ष	आकाशवाणी के पास पंडरियाबाड़ा सिविल लाईन रायपुर (म.प्र.)	चिकित्सक
4.	श्री श्यामलाल दुबे (वरिष्ट उपाध्यक्ष)	ग्राम हथबंध पो. हथबंध जिला रायपुर (म.प्र.)	कृषि
5.	उमाशंकर मिश्रा (कनिष्ट उपाध्यक्ष)	वि[illegible] प्रेस बैजनाथपारा रायपुर (म.प्र.)	पत्रकारिता
6.	श्री ओंकारनाथ मिश्रा (सह – सचिव)	बजरंग नगर रायपुर (म.प्र.)	बैंक में नौकरी
7.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी (उप सचिव)	नर्बदापारा, स्टेशन वार्ड रायपुर (म.प्र.)	कागज का व्यवसाय

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा
[illegible]

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा।
चिब रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपु

5. इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ संस्था के विनियमों की एक सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति जैसी की मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 73(क)44 सन 1963 की धारा 6 की उपराधरा (3) द्वारा आवेदित है, संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे अभिव्यक्त है संस्था का निर्माण उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसार करने के इच्छुक है तथा हमने ज्ञापन पर नीचे दशाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्रमांक	चंदा देने वालों के नाम व पता	साक्षियों के नाम तथा पता
1.	श्री आर.के. तिवारी	1. श्री सत्यनारायण मिश्रा रेल्वे क्वा 363 चरौदा नं. 2 चरौदा भिलाई 2. श्री प्रेम वल्लभ तिवारी मालवीय रोड़ रायपुर
2.	श्री शारदा प्रसाद तिवारी	1. श्री नंद कुमार पाठक फाफाडीह रायपुर 2. श्री राम अवध शुल, फाफीह चौक रायपुर
3.	श्री कृपाशंकर त्रिपाठी	1. श्री लालता प्रसाद मिश्र, फूलचौक रायपुर 2. श्री चंद्रपाल मिश्र, बैजनाथपरा रायपुर
4.	श्री एस.पी. दुबे	1. श्री देवी शंकर मिश्र, बैजनाथपरा रायपुर 2. श्री राजनारायण मिश्र, देशबंधु प्रेस रायपुर
5.	श्री लालता प्रसाद मिश्र	1. श्यामता प्रसाद पांडेय, रविनगर रायपुर 2. श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी मालवीय रोड रायपुर
6.	श्री मांधाता ओमच	1. बद्री प्रसाद ितिवारी मालवीय रोड़ रायपुर 2. श्री शिवकुमार मिश्रा, पेशनबाड़ा रायपुर
7.	श्री जी.पी. कुररिया	1. श्री गिरिजाशंकर ओझा, पोलिस लाईन रायपुर 2. श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, मालवीय रोड़ रायपुर
8.	श्री फूलचंद मिश्र	1. श्री श्याम शरण शुक्ल मालवीय रोड़ रायपुर 2. पं. हनुमान प्रसाद दुबे, नयापरा रायपुर
9.	श्री भगवान दीन द्विवेदी	1. श्री कृपा शंकर त्रिपाठी, टिकरापरा रायपुर 2. श्री शिव शिरोमणी पाठक, टिकरापरा रायपुर
10.	श्री चन्द्रपाल मिश्र	1. श्री आनंद कुमार पांडेय बैरन बाजार रायपुर 2. श्री के.के.मिश्रा बूढ़ापरा रायपुर
11.	श्री दाऊदयाल मिश्र	1. श्री फूलचंद मिश्रा रामसागरपारा रायपुर 2. श्रीमती शैल तिवारी रामसागरपारा रायपुर
12.	श्री बबन प्रसाद मिश्र	1. श्री रविशंकर दुबे, भागीरथी दुबे मंदिर नयापरा रायपुर 2. पन्ना लाल, महामाया पारा रायपुर

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
[illegible] क्र. 1 [illegible], रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
[illegible] 1, [illegible], रायपुर

13.	श्री श्यामता प्रसाद पांडेय	1. श्री पी.कुररिया ज्योतिष लोक कार्यालय स्टेशन रोड़ रायपुर 2. श्री मंधाता ओझा सहायक अभियंता रेल्वे इंस्ट्टीयूट कालोनी रापुर (छ.ग.)
14.	श्री देवीशंकर मिश्र	1. श्री रमाशंकर तिवारी बूढ़ेश्वर मंदिर के पास रायपुर (छ.ग.)
15.	श्री रविशंकर दुबे	2. श्री रामनिहोर पांडेय बूढ़ेश्वर मंदिर के पास रायपुर (छ.ग.)
16.	श्री पन्नालाल शुक्ल	1. डॉ.हनुमंत प्रसाद दुबे पंडरिया बाड़ा रायपुर 2. श्री उमाशंर मिश्रा मालवीय रोड रायपुर (छ.ग.)
17.	डॉ. हनुमान प्रसाद दुबे	1. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी त्रिपाठी ट्रेडिंग कंपनी रायपुर (छ.ग.) 2. श्री नरेन्द्र शुक्ला स्टेशन रोड नहरपारा रायपुर
18.	श्री श्यामलाल दुबे	1. श्री रामायण मिश्रा फूल चौक रायपुर 2. श्री जगदीश प्रसाद फूल चौक रायपुर
19.	श्री उमाशंकर मिश्रा	1. श्री ओंकारनाथ मिश्रा बजरंग नगर रायपुर 2. श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय
20.	श्री ओंकारनाथ मिश्रा	1. श्री अनंत राम दुबे सुभाष स्टेडियम रायपुर 2. श्री श्यामलाल दुबे रायपुर
21.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	1. संतोष कुमार उपाध्याय ईदगाहभाठा रायपुर 2. श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी रायपुर 3. श्री भगवानदीन द्विवेदी मेकू मंदिर रायपुर

शुल्क 800 चालान क्र. 2401161 दि. 11/7/24 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र 13579 दिनांक 27/3/84 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी का दिनांक 26/7/2024

सचिव, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, ...

कोषाध्यक्ष, सरयू पारीण ब्राह्मण समाज, (म. प्र.)

T.C.
26/7/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

अध्यक्ष, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, पंजी क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

22AA 642674

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा
ज्ञापन के साथ सलग्न

26/7/2024

(अनुपमा कुमार)

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़

(1)

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, रायपुर म.प्र.

– संविधान –

1. संस्था का नाम : इस संस्था कानाम – सरयूपारीण ब्राह्मण सभा रायपुर छत्तीसगढ़ होगा। जिसे एतद पश्चात ''सभा'' कहा गया है।

2. संस्था का पंजीकृत प्रधान कार्यालयः–
इस सभा का पंजीकृत प्रधान कार्यालयः–
इंदिरा नगर (संजय नगर) रिंग रोड नं.01, रायपुर
तह. व जिला–रायपुर (छ.ग.) 492001

3. संस्था के उद्देश्यः–

१. समाज में एकता निर्माण करना.
२. समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा इत्यादि समाप्त करना.
३. पारस्परिक सहयोग द्वारा समाज का उत्थान करना और राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि करना.
४. सरयूपारीण ब्राहमण समाज में नैतिक मानसिक शारीरिक सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु कार्य करना एवं समाज में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करना.
५. समाज की अमूल्य सेवाओं के लिए समाज के सदस्यों को सम्मानित करना.
६. समाज के विवाह योग्य लड़के लड़कियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना तथा सामूहिक विवाह और जनेऊ का आयोजन करना.
७. सरयूपारीण ब्राहमण समाज के निर्धन और विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति या परिवार की सहायता करना.
८. समाज के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा संस्थाएं एवं छात्रावास की व्यवस्था करना तथा समाज के कल्याण के लिए औषधालय पुस्तकालय वाचनालय आदि की स्थापना करना और उन्हें सुचारु रुप से संचालित करना.
९. सामाजिक संस्कार तथा विवाह तथा यगोपवित्र आदि में लगने वाले सामग्री बर्तन का समान तथा बरात निवास गृह आदि की व्यवस्था सरयूपारीण परिवारों के लिए करना और उनकी हर संभव सहायता करना.
१०. सरयूपारीण समाज के होनहार व योग्य छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना
११. समाज के विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना.
१२. समाज लोगों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने तथा उनमें समाजिक चेतना जगाने तथा समाज की सदस्यों के समाधान और सभा की कार्यवाहीयों को बताने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाएं निकालना मुद्रित करना और प्रकाशित करना.
१३. समाज में जागृति लाने नैतिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्मेलन करना
१४. सरयूपारीण ब्राहमण समाज के सर्वांगीण उन्नति एवं राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कार्य करना
१५. सामाजिक जिम्मेदारी निभाना एवं पर्यावरण हेतु समुचित प्रयास करना.

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, [illegible] रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर.

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

१६ समाज की विधवा,तलाकशुदा महिलाओ के पुनर्विवाह एवं समाज मे स्थापित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन करना

१७ समाज के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना.

१८ शासन की विभिन्न हितकारी योजनाओ से समाज के लोगो को लाभान्वित कराना

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा रायपुर (छ.ग.):-

4. **संस्था का कार्यक्षेत्र-** इस सभा का कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र होगा।

5. **सदस्यता:**

(1) सभा में एक श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) **आजीवन सदस्य:-**

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

जो व्यक्ति सभा को 100) रू. (एक सौ रूपये) नामांकन शुल्क और सदस्यता शुल्क के रूप में कम 2100) रू. (दो हजार एक सौ रूपये) या अधिक एक मुस्त देगा वह सभा का आजीवन सदस्य होगा।

(2) (अ) **सदस्यों की पात्रता:-**

सभा की सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होनी आवश्यक है।

(क) सदस्य बनने वाला व्यक्ति 18 वर्ष (अट्ठारह वर्ष से कम न हो।)

(ख) सरयूपारीय ब्राह्मण हो।

(ग) सभा के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।

(घ) विक्षिप्त न हो।

(ब) सभा की भविष्य में गठित होने वाली महिला, युवा एवं अन्य समितियों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तें आवश्यक है।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

(अ) सभा की महिला समिति की सदस्य समाज की कोई भी महिला हो सकेगी।

(ब) सभा की युवा समिति का सदस्य वही हो सकेगा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो जिसके लिये उसके परिवार का पिता, भाई या संरक्षक सभा का विधिवत सदस्य होना अनिवार्य नहीं है ।

(3) सदस्यता की प्राप्ति व नवीनीकरण प्रक्रिया:–

(अ) प्रत्येक व्यक्ति जो सभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता है उसे निर्धारित फार्म पर लिखित रूप से आवेदन करना होगा।। ऐसा आवेदन पत्र कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति होने पर वह सदस्य बनेगा।

(ब) सदस्यता अवधि समाप्त होने पर प्रत्येक सदस्य निर्धारित अवधि के अन्दर निर्धारित सदस्यता शुल्क पटाकर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा सकेगा।

(स) निर्धारित अवधि के अंदर सदस्यता शुल्क नहीं पटने पर सदस्य की समाप्ति होने पर पुर्नसदस्यता नामांकन शुल्क व सदस्यता शुल्क पटाने पर ही प्राप्त होगी।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर

(4) सदस्यता की समाप्तिः

किसी की भी सदस्यता निम्न लिखित कारणों से समाप्त हो जायेगी।

(क) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

(ख) सदस्य के पागल हो जाने पर।

(ग) सदस्यता का निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न कराने पर।

(घ) किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से त्याग- पत्र देने पर।

(ड) चारित्रीक दोष होने पर या सभा के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर कार्यकारिणी द्वारा विधिवत कार्यवाही कर हटाने पर।

(5) सदस्यता पंजीः

सभा के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न व्यौरा दर्ज किया जायेगा।

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पिता का नाम, आयु गोत्र, व्यवसाय व स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार नंबर, मोबाईल नंबर ।

(ब) सदस्य बनने का दिनांक व सदस्यता शुल्क और सदस्यता पावती का क्रमांक।

(स) सदस्यता पंजी सदैव पूर्ण रखी जायेगी और समय समय पर जो परिवर्तन होंगे वे लाल स्याही से अंकित होंगे।

(6) सभा का कार्य संचालनः-

सभा का कार्य संचालन करने के निम्नांकित निकाय होंगेः-

(अ) साधारण सभा।

(ब) कार्यकारिणी समिति।

(स) अन्य समितियां।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

(7) साधारण सभा:

1. सभा के कार्य संचालन में साधारण सभा सर्वेच्च निकाय होगी उसे संपूर्ण अधिकार होगा।

साधारण सभा के सदस्य:

सभी आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य, जिनका नाम सदस्यता पंजी में विधिवत दर्ज होगा, होंगे। साधारणसभा की प्रति वर्ष एक वार्षिक और एक अर्द्धवार्षिक बैठक होगी। आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी के प्रस्ताव पारित करने पर या.साधारण सभा के 1/10 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर, जिसमें साधारण सभा को बुलाने का उद्देश्य लिखा हो, 15 दिन के अन्दर साधारण सभा की बैठक बुलाई जा सकती है।

2. **सूचना:**

साधारण सभा की बैठक बुलाते समय उसकी सूचना सभी सदस्यों को 7 दिन पूर्व दी जायेगी, सूचना में सभा की कार्य सूची, बैठक का दिनांक, दिन समय तथा स्थान का विवरण होगा। सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाईल, व्हाटसप में भी मान्य होगा ।

3. **गणपूर्ति:-**

साधारण सभा के लिए गणपूर्ति 1/3 सदस्यों की उपस्थिति से मानी जायेगी। साधारण सभा की बैठक के लिए नियत दिनांक को निश्चित समय पर गणपूर्ति ना होने की दशा में 1 घंटे के बाद उपस्थित सदस्यों की बैठक होगी और उपस्थित सदस्य ही निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

(8) साधारण सभा के कार्य एवं अधिकारः–

1. सभा के कार्यों का वार्षिक विवरण, प्रगति का विवरण एवं आय व्यय के वार्षिक विवरण का अनुमोदन करना।
2. सभा की स्थायी निधि, एवं चल व अचल संपत्ति की सुचारू व्यवस्था पर निगाह रखना, आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच करना।
3. कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
4. सभा के कार्य संचालन हेतु कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर उन पर निर्णय देना।

(9) **कार्यकारिणी समितिः**

(अ) **गठनः–**

सभा के कार्य संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे।

1. **निर्वाचित सदस्यः–**

सभा की साधारण सभा की बैठक में नियम 5 में दर्शाए गए सदस्य जिनके नाम , सदस्यता पंजी में दर्ज हो,उसमें से केवल अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा अध्यक्ष अन्य 20 पदाधिकारियों का चयन पंजीकृत सदस्यों में से ही करेगें । कार्यकारिणी समिति की कुल सदस्य संख्या 21 होगी।

2. **मनोनित सदस्यः–**

सभा के अध्यक्ष द्वारा सभा के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न समितियों में से 5–5 सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा जो कि सदस्य कहलायेंगे। मनोनीत सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे मगर उन्हे

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरेना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरेना, रायपुर

मतदान का अधिकार नहीं होगा तथा उनका कार्यकाल अध्यक्ष की कृपा पर्यन्त होगा।

(ब) पदाधिकारी:

आमसभा में निर्वाचित अध्यक्ष अपने बीच में से दो उपाध्यक्ष, (वरिष्ठ एवं कानिष्ठ) एक महासचिव, एक उप-सचिव, एक सह-सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन करेंगे।

(स) **कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया व कार्यकाल:**

1. चुनी हुई कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा पर वह नई कार्यकारिणी के चुनाव होने तक वह कार्यरत रहेगी। किन्तु उक्त अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर लगातार दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं चुना जा सकेगा।

सोसायटियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

(ड) **कार्यकारिणी के बैठक व गणपूर्ति:-**

1. कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में होगी।
2. बैठक के दिनांक, स्थान समय व कार्य सूची का विवरण आदि की सूचना बैठक दिनांक के 7 दिन पूर्व दी जायेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया की सूचना एवं व्हाटसाप मैसेज को मान्य किया जायेगा।
3. कार्यकारिणी की आपात बैठक कम से कम 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर आयोजन की जा सकती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की सूचना एवं व्हाटसाप मैसेज को मान्य किया जायेगा।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

4. बैठकों में गणपूर्ति 2/3 निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

(10) कार्यकारिणी के कार्य व अधिकार:-

1. सभा का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुवा है उनकी पूर्ति करना तथा उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
2. साधारण सभा की बैठक में सभा के पिछले वर्ष के लिये कार्य का प्रतिवेदन, आय व्यय का अंकेक्षण विवरण प्रस्तुत करना।
3. सभा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सवों व संस्कारों आदि का आयोजन करना।
4. सभा के आगामी वर्ष का बजट बनाकर प्रस्तुत करना।
5. सभा के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न समितियों का निर्माण व उनके संचालन के उपनियम बनाना।
6. सभा के कर्मचारियों का नियुक्ति व सेवामुक्ति के उप-नियम बनाना।
7. सभा के कोष के लिए विभिन्न उपायों से राशि एकत्र करना और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।
8. सभा की चल व अचल संपत्ति की व्यवस्था करना और उससे प्राप्त आय व्यय पर नियंत्रण रखना।
9. साधारण सभा की बैठक का दिनांक, समय व स्थान तथा कार्य सूची का निर्माण कर उसकी व्यवस्था करना।
10. सभा के हिसाब किताब की जांच हेतु अंकेक्षण की नियुक्ति करना।
11. सभा के किसी सदस्य के या पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करना।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष, 2/12/21
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

12. सभा के हित में समस्त कानूनी कार्यवाही करना।

13. कार्यकारिणी द्वारा आयोजित समस्त बैठकों में इलेक्ट्रानिक मीडिया की सूचना एवं व्हाटसाप मैसेज को मान्य किया जायेगा ।

11. संयुक्त उत्तरदायित्व :-

कार्यकारिणी अपने या अपने सदस्यों के कार्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी ।

12. **कार्यकारिणी की सदस्यता से मुक्तिः**

1. कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य अपना लिखित त्याग पत्र देकर कार्यकारिणी की स्वीकृति से पृथक हो सकता है।
शारीरिक या माकनसिक रूप से अशक्त होने पर।
बिना लिखित सूचना के कार्य समिति की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर।

13. **अध्यक्ष के कार्य व अधिकारः-**

(अ) अध्यक्ष साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(ब) कार्यकारिणी के रिक्त पदों पर शेष अवधि के लिए अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को मनोनित कर सकता है।

(स) सभा की ओर से किसी व्यक्ति को, अध्यक्ष अपने लिखित आदेश से चंदा या दान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(ड) अध्यक्ष, महासचिव के माध्यम से सभा या कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर

(क्ष) कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष अपने अधिकार से किसी विशिष्ट या विद्धान व्यक्ति को विचार विमर्श हेतु। आमंत्रित कर सकेगा मगर उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(ख) अध्यक्ष को खर्च हेतु एक बार से 25000) रू. (पच्चीस हजार रूपये) तक निकालने का अधिकार होगा परन्तु इस व्यय का अनुमोदन कार्यकारिणी की आगामी बैठक कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष को कार्य समिति हेतु सभा की अन्य समितियों से 5-5 सदस्य मनोनित करने का अधिकार अनुमोदन कराना आवश्यक होगा ।

14. उपाध्यक्ष के कार्य व अधिकारः-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठता क्रम में उपाध्यक्ष साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करेगा।

15. महासचिव के कार्य व अधिकारः-

1. महासचिव सभा के कार्यालय एवं सभा द्वारा संचालित सभी संस्थाओं की सारी जंवाबदारी व उन पर नियंत्रणा व साधारण सभा की नीति अनुसार कार्य संचालन अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त कर करेगा।
2. अध्यक्ष की अनुमति से र्काकारिणी की बैठक नियमानुसार बुलाना और उसका संचालन करना एवं समस्त आवेदन परत्र तथा सुझाव, जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
3. सभा की समितियों के कर्मचारियों पर नियंत्रण व उनकी देखभाल करना।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महापुरैना, रायपुर

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर (म. प्र.)

अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, महापुरैना, रायपुर

4. सभा के कोषाध्यक्ष के सहयोग से आय व्यय का हिसाब रखना तथा सभा का वार्षिक बजट बनाना और पिछले वर्ष के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराकर उसका प्रतिवेदन साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

5. सभा से संबंधित सभी समितियों के समस्त काजजात तैयार करना और उनका निरीक्षण करना तथा अनियमितताऐं पाये जाने पर उसे कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।

महासचिव को एक बार में 10000/-रू.(दस हजार रूपये) तक खर्च करने का अधिकार होगा इससे अधिक के लिए वह अध्यक्ष की अनुमति से खर्च कर सकेगा सभी खर्चों का कार्यकारिणी की अगली बैठक में अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

7. कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों और अध्यक्ष के आदेशों का क्रियान्वयन करना।

16. सह-**सचिव के कार्य व अधिकार:**

उप-सचिव, महासचिव के आदेशानुसार कार्य करेगें महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव की लिखित अनुमति से वह महासचिव के समस्त कार्य करेगा।

17. उप **-सचिव के कार्य व अधिकार:-**

सह-सचिव, महासचिव व उप-सचिव के आदेशानुसार कार्य करेंगे तथा महासचिव एवं उप-सचिव की अनुपस्थिति में उनकी लिखित अनुमति से महासचिव एवं उपसचिव के समस्त कार्य का सम्पादन करेंगे।

सचिव, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, न्यू रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष, सरयू पारीण ब्राह्मण समाज, रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, न्यू रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर

18. सभा कोष तथा अन्य सम्पत्तियों की व्यवस्था:

सभा का कोष व अन्य सम्पत्ति निम्न साधनों से एकत्र की जायेगी।

(अ) नामांकन शुल्क तथा सदस्यता शुल्क से।

(ब) दान व अनुदान से।

(स) चल व अचल संपत्ति के दान से।

(ड) सभा को प्राप्त सभी चल व अचल संपत्ति सभा के नाम पर रेहगी। उसकी व्यवस्था सभा के बनाये नियमानुसार कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी। सभा की नकद राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की रायपुर शाखा में सभा के नाम पर खाता खेलकर जमा की जायेगी खाते का संचालन अध्यक्ष, महासिचव तथा कोषाध्यक्ष मे से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से हागा। 25000 रू. (पच्चीस हजार रूपये) से अधिक की राशि एक मुस्त निकालने के लिए कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

(मुहर: समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़)

19. **कोषाध्यक्ष के कार्य व अधिकार:**

1. सभा के सदस्यता शुल्क तथा चंदे की रसीदों का वितरण का हिसाब रखना।

2. सभा को नामांकन शुल्क व सदस्यता शुल्क की प्राप्त राशि का हिसाब रखना।

सचिव,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष,
सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,
रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

13

3. सभा को प्राप्त सदस्यता शुल्क व चंदे की नगदी राशि बैंक खाते में जमा करना तथा अध्यक्ष,महासचिव,कोषाध्यक्ष के सहयोग से राशि निकालना।

4. सभा के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब रखना तथा उनका अंकेक्षण करना।

कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति मदों पर अध्यक्ष या महासचिव द्वारा लिखित सूचना पर व्यय करना।

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

20. **सभा की भाषा:**

सभा की समस्त कार्यवाही हिन्दी भाषा में होगी।

21. **संविधान की प्रभावशील होना:**

यह संविधान पंजीकृत होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

22. **आर्थिक वर्ष:**

इस सभा का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। या भारत सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा ।

23. **उपनियमों की निर्माण प्रक्रिया:**

1. सभा द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाने वाली समितियों के लिए कार्यकारिणी उपनियमों का निर्माण कर सकेगी।
2. उपनियमों का निर्माण कार्यकारिणी द्वारा गठित समितियों द्वारा होगा तथा कार्यकारिणी उसे अपने बहुमत से उसे पारित कर सकेगी।

24. **संस्था को विघटित करने का तरीका:**

जब कभी सभा निष्क्रिय हो जाय या अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहती है या अधिनियम और अपने संविधान के नियमों के अन्तर्गत कार्य करने में असफल रहती है तो उसके 1/10 सदस्यों द्वार

सचिव,	कोषाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,	सरयू पारीण ब्राह्मण समाज,	सरयूपारीण ब्राह्मण सभा,
रिंग रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर.	रायपुर. (म. प्र.)	रिंग रोड क्र. 1, मठपुरेना, रायपुर

प्रस्तुत प्रस्ताव पर साधारण सभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से सभा को भंग करने का प्रस्तावप पारित कर सकती है जिसकी सूचना अविलम्ब श्रीमान पंजीयक म.प्र. सोसायटी को दी जायेगी।

25. संस्था के विघटन के पश्चात सम्पत्ति का अवधारण:

सभा की साधारण स भा विघटन के प्रस्ताव के साथ ही सभा की सम्पूर्ण सम्पत्ति का दायित्व सौपने बाबत् निर्णय लेगी तथा यथा योग्य उसकी व्यवस्था बाबत् प्रस्ताव पारित करेगी।

26. विवाद:-

यदि संपत्ति में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो जांच करने का एवं निर्णय देने अधिकार पंजीयक फम्स तथा सोसायटी को होगा। पंजीयक द्वारा दिया गया निर्णय समस्त सदस्यों को अपनाना होगा।

27. सभा की कार्यकारिणी या उसके द्वारा संचालित अन्य संस्थावों को कार्यकारिणी में किसी प्रकार से विवाद का जांच करने का अधिकार पंजीयक को होगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय संस्था को मान्य हागा। पंजीयक को यह भी अधिकार होगा कि यदि संस्था के कार्य संचालन में कार्यकारिणी द्वारा अनियमितता की जा रही है तथा जांच के उपरांत उनको यह भी ज्ञात हो जावे कि पदाधिकारियों द्वारा कार्य में निरंत बाधा निर्माण की जा रही है तो ऐसी समिति में प्रबंध कारिणी को भंग कर संस्था के किसी जिम्मेदार सदस्य की नियुक्ति प्रशासक के रूप में दो वर्ष या अन्य आदेश तक करे। यह अधिकार संस्था के विधान के अनुसार कार्य संचालन करने तथा पंजीयक द्वार उनके लिये निर्धारित सेवाकाल की समाप्ति पर संस्था की आमसभा बुलाकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायित्व होगा। संस्था की कार्यकारिणी समिति में नामांकित कर सकेगा यदि वह उचित समझे।

सभा व समिति द्वारा संचालित संस्थाओं की चल व अचल संपत्ति सभा के नाम से रहेगी और ऐसी अचल संपत्ति का विक्रय या अन्य प्रकार से

सचिव, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर.

कोषाध्यक्ष, सरयू पारीण ब्राह्मण समाज, रायपुर (म. प्र.)

अध्यक्ष, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, रिंग रोड क्र. 1, महपुरैना, रायपुर

निराकरण बिना साधारण सभा की ऐसी स्वीकृति तभी प्रभावशील होगी जबकि पंजीयक की पूर्व लिखित स्वीकृति इस संबंध में प्राप्त कर ली गई हो।

27. पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः

सभा की पंजीयक नियमावली के अनुसार बैठक बुलाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं म.प्र. को या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सभा की बैठक भी बुलाने एवं विषय निश्चित करने का अधिकार भी उनको ही होगा ।

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

28 अंकेक्षक रिपोर्ट भेजने बाबत्:

अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत वार्षिक साधारण सभा होने के 45 दिन के अंदर पंजीयक एवं संस्थाएं को परीक्षित लेखा जोखा संबंधी विवरण भेजा जावेगा। लेखा जोखा भेजने की जवाबदारी कार्यकारिणी की रहेगी।

29 व्याख्याः

सभा की पंजीकृत संविधान या उसके अधीन में से किसी नियम या उपनियम या समस्त नियम उपनियमों की व्याख्या संबंधी विषयों पर पंजीयक द्वारा दी गयी व्याख्या अंतिम होगी।

शुल्क 800 चालान क्र. 2400116 दि. 11/7/24 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र. 13579 दिनांक 27/3/84 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी दिनांक 26/7/2024

30. संशोधनः

सभा के संविधान में संशोधन साधारण सभा 2/3 सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से किया जावेगा। यदि आवश्यक हुआ तो सभा की संविधान ज्ञापन में भी कभी भी संशोधन करने का अधिकार होगा।

सचिव, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, [illegible]

कोषाध्यक्ष, सरयू पारीण ब्राह्मण समाज, रायपुर. (म. प्र.)

अध्यक्ष, सरयूपारीण ब्राह्मण सभा, [illegible] रोड क्र. 1, मठपुरैना, रायपुर

TC
26/7/2024
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 22AA 642844

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा
नियमावली के साथ संलग्न

26/ /2024

(अनुपमा कुमार)
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़